(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III, खंड- 4 में **प्रकाशित**)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 123 **नई दिल्ली**, 28 अप्रैल, 2010

<u>अधिसूचना</u>

महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतत्द्वारा, मुर्मूगांव पत्तन न्यास में बर्थ सं. 5 ए और 6 ए स्थित मल्टी पर्पज बल्क कार्गो टर्मिनल के लिए साउथ वैस्ट पोर्ट लिमि. के दरमान की वैधता को संलग्न आदेशानुसार विस्तार प्रदान करता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष

<u>महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण</u>

<u>प्रकरण सं. टीएएमपी/19/2006-एसडब्ल्यूपीएल</u>

साउथ-वैस्ट पोर्ट लिमिटेड आवेदक

<u>आ दे श</u>

(मार्च 2010 के 31 वें दिन पारित)

यह प्रकरण मुर्मूगांव पत्तन न्यास में बर्थ सं. 5 ए और 6 ए स्थित मल्टीपर्पज बल्क कार्गो टर्मिनल के लिए साउथ-वैस्ट पोर्ट लिमिटेड (एसडब्ल्यूपीएल) के वर्तमान दरमान के विस्तार से संबंधित है ।

2. कथित मल्टी पर्पज कार्गो टर्मिनल के लिए वर्तमान दरमान इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार दिनांक 29 दिसम्बर 2006 के आदेश के माध्यम से अनुमोदित किया गया था और दरमान की वैधता 31 मार्च 2010 तक निर्धारित की गई थी ।

3. 19 मार्च 2010 को प्रस्तुत मसौद दरमान के साथ अपने दरमान के संशोधन के लिए एसडब्ल्यूपीएल द्वारा दाखिल प्रस्ताव 16 फरवरी 2010 को प्रशुल्क प्रकरण के रू प में पंजीकृत किया गया है और परामर्श पर लिया गया है । एसडब्ल्यूपीएल ने दिनांक 18 मार्च 2010 के पत्र द्वारा, वर्तमान दरमान की वैधता, और छ: माह की अवधि के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया है ।

4. एसडब्ल्यूपीएल द्वारा दाखिल किए गए प्रस्ताव की आंतरिक जाँच-पड़ताल में अभी कुछ समय लगेगा । चूंकि दरमान की वैधता 31 मार्च 2010 को समाप्त हो रही है, इसकी वैधता 31 मार्च 2010 से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है । अतएव, यह प्राधिकरण वर्तमान प्रशुल्क की वैधता 30 सितम्बर 2010 अथवा संशोधित प्रशुल्क के क्रियान्वयन की प्रभावी तिथि, इनमें से जो भी पहले हो, तक विस्तारित करता है ।

5. 1 अप्रैल 2010 के बाद वाली अवधि में, ग्राहय लागत और अनुमेय प्रतिलाभ से अधिक यदि कोई अतिरिक्त अधिशेष उभरता हो, उसे निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूरी तरह समायोजित किया जाएगा ।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष